कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक / बैठक / 2023 / 2248 दिनांक :: 23-5- 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री जयनारायण मीणा, आयुक्त (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 मई, 2023 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 25 अप्रेल 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **25 अप्रेल 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **25 अप्रेल 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 25 अपैल, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: माननीय अधिनस्थ न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर प्रस्ताव बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु श्री अनिल चौधरी, पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश क्रमांकःएफ–42 / विधि / जेडीए / 2023 / 7797 दिनांक 27.04.2023 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम	:	श्री अनिल चौधरी
पता	:	प्लॉट नं. 26 करणी नगर नियर किसान गैस गोदाम, कुडी भगतासनी, जोधपुर
पंजीयन संख्या	:	आर / 2267 / 2019
मो.नं.	:	9799904293

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्तें :–

पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :–

1. अधिनस्थ न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 5,000 / –रूपये मात्र
2. अन्य खर्चे :– राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

नियुक्ति की शर्तें :–

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डर टेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट

भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णीत हो गये है उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुदकमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हें आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भलाने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।
7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेश लागु होगें।

उक्तानुसार श्री अनिल चौधरी, अधिवक्ता को अधिनस्थ न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति का कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्री अनिल चौधरी, अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: Excavation, Removal, Collection, Transportation, Storage and Disposal of Hazardous Waste Sludge from defined stretch of river Jojri as per the directions of Hon'ble NGT in the matter of original application No. 358/2013(THC) M/s Laxmi Suiting V/s State of Rajasthan & Others. व जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट का अनुमोदन,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को पारित आदेशों के क्रम में मैसर्स रामकी एनवायरों लिमिटेड हैदराबाद को भुगतान की स्वीकृति, कार्य का अन्तिम समयावधि स्वीकृत करने एवं कार्य से संबंधित शिकायते/परिवाद के निस्तारण बाबत्।

क्र.स	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डे के संबध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डें में अभिंशषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जोजरी नदी से हटाये गये मलबे की जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन व मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को भुगतान की स्वीकृति वास्ते पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/निर्देशों के क्रम में वर्णित बिन्दुओं की अनुशंषा की जाती है। 1. पूर्व में संलग्न दोनो रिपोर्ट जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं

		जोधपुर विकास प्राधिकरण व क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर व बालोतरा की बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 10(10)नविवि/1/2018 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में करने बाबत्। 2. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं. 5020/2020 में मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को पूर्व में किये गये भुगतान एवं शेष रहे भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किये गये दिशा निर्देशो में राज्य सरकार के पत्रानुसार भुगतान की कार्यवाही का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा लिये जाने बाबत्। 3. कार्य का अन्तिम समयावधि स्वीकृत करने बाबत्। 4. कार्य से संबंधित शिकायते/परिवाद के निस्तारण बाबत्।

1. संयुक्त शासन सचिव – द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.10 (10) नविवि/01/2018 दिनांक 25.01.2021 के निर्देशानुसारजोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जोजरी नदी से हटाये गये मलबे/हानिकारक स्लज के भुगतान एवं मलबा हटाने के कार्य के भुगतान एवं मलबा हटाने के कार्य निविदा शर्तों के अनुसार संपादित किया गया है या नही, इस बाबत् उक्त प्रकरण की जांच कराने तथा तदनुसार भुगतान के बारे में प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। इस संबध में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आदेश क्रमांक जोविप्रा/पीएचई/2021–21/78 दिनांक 04.03.2021 ईई/पीएचई/113 दिनांक 29.06.2021 के जरिये उपरोक्त प्रकरण के संबध में कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा पत्रांक 173 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2022 प्रस्ताव सं. 11 अनुसार प्रस्तुत की गई, जिसके संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार कार्य के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीयों की बैठक दिनांक 20.10.2022 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2022 प्रस्ताव सं. 11 अनुसार प्रस्तुत की गई, जिसके संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त दोनो प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 23.12.2022 द्वारा संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किये गये।संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 10(10)नविवि/I/2018 दिनांक23.01.2023 द्वारा निर्देश दिये गये कि जोधपुर विकास प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में की गई जांच के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 6.02.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार The learned Sr. counsel submits that respondent no 2 has filed additional affidavit today whereby certain communications have been taken on record. He further submits that the comuunication date 23.01.2023 made by the Joint Secretary Administration to the Secretary JDA specifically mentions that on account of the SOP duly issued by JDA, the power of

administrative sanction and financial vests with the JDA and, therefore, there is no requirement of taking sanction from the State Government.

4. The learned counsel for the JDA submits that on account of the communication dated 23.01.2023 (Annex.-R/30) the JDA though is not required to take the sanction from the State Government however in the said communication it has been mentioned that :-

"जहा तक प्रकरण में की गई जांच का संबंध है, उक्त हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है"

and he further submits that since the enquiry is pending with the State Government and appropriate action is expected therefore the respondent JDA would not be in a position to release the due amount in favour of the petitioner till the enquiry is not concluded and decision is not communicated to the respondent JDA.

5. This court has put a categorical question to respondent counsel appearing for state in regard to the submission made by learned counsel for the JDA about the enquiry pending with the State Government.The learned counsel appearing for the State submits that communication dated 23.01.2023 the State Government is referring to the enquiry initiated by the JDA against the petitioner and not about any enquiry pending with the State Government. He further submits that the enquiry pending with the JDA was concluded and an enquiry report dated 25.08.2021 was also presented which is evident from the communication dated 23.12.2022 (Annex. R29)

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण व क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर व बालोतरा की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर अनुमोदनहेतु प्रस्तुत है।

2. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं. 5020/2020 मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबादमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को पारित आदेश अनुसार दिनांक 18.05.2023 तक मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को बकाया भुगतान किया जाना है। अतः फर्म को पूर्व में किया गया भुगतान राशि रू 4,18,18289 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं कार्य के अन्तिम बिल अनुसार राशि रू 11,49,70948 के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

3. मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 69 दिनांक 27.04.2017 को राशि रू 24,25,17,240/– का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक क्रमशः 07.05.2017 व 06.05.2018 थी। संवेदक द्वारा वास्तविक रूप से कार्य दिनांक 27.06.2018 को पूर्ण किया गया। सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत समयावधि प्रकरण अनुसार कुल 52 दिन कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ।पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं दस्तावेजो अनुसार विलम्ब अवधि हेतु संवेदक आंशिक रूप से दोषी है। सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तिम समयावधि प्रकरण अनुसार कुल विलम्ब अवधि 52 दिन में से 11 दिन के लिए संवेदक को दोषी मानते हुए राशि रू 28,42,882की शास्ति आरोपित करते हुए अन्तिम समयावधि दिनांक 27.06.2018 तक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

4. उक्त कार्य के संबंध में श्री नवीन त्रिवेदी द्वारा भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज परिवाद की प्रति उपलब्ध करवाई गई। उक्त शिकायत के संबंध में भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो द्वारा परिवाद सं. एच 500/2023 दिनांक 30.01.2023 दर्ज कर अपने पत्र क्रमांक 1524 दिनांक 30.01.2023 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर को परिवाद को स्वयं के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक 106 दिनांक 25.04.2023 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (परि.) पुलिस महानिदेशक, भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को इस कार्य के संबंध में दायर एस.बी सिविल रिट पिटिशन सं. 5020/2020 में दिनांक 21.04.2023 को

पारित अन्तरिम आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन किया गया है कि उक्त परिवाद सं. एच 500/2023 दिनांक 30.01.2023 में दर्ज किये गये वाद/परिवाद/जांच के संबंध में वस्तुस्थिति चाही गई है। उक्त पत्र द्वारा भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो से निवेदन किया गया की माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में भुगतान किया जाना है। इस कारण जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक–परि., कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/परि./2023/4660 दिनांक 09.05.2023 द्वारा परिवाद संख्या एच–500/23.01.2023 में परिवादी श्री नवीन त्रिवेदी पुत्र श्री रामदेव त्रिवेदी के द्वारा प्रेषित शिकायत को परिवाद एच–500/2023 अंकित कर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग आवासन, अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रिको जयपुर को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में ब्यूरो स्तर पर उक्त परिवाद एच के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। श्री नवीन त्रिवेदी द्वारा उक्त परिवाद की प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जरिये श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, जोधपुर उच्च न्यायालय को भी प्रेषित की गई है।

अतः उक्तप्राप्त शिकायते एवं परिवाद निस्तारण बाबत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

1. पूर्व में संलग्न दोनो रिपोर्ट जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण व क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर व बालोतरा की बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन राज्य सरकार के पत्रानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में करने बाबत्।

2. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं. 5020/2020 में मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को पूर्व में किये गये भुगतान एवं शेष रहे भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किये गये दिशा निर्देशो में राज्य सरकार के पत्रानुसार भुगतान की कार्यवाही का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा लिये जाने बाबत्।

3. कार्य का अन्तिम समयावधि प्रकरण दिनांक 27.06.2018 तक शास्ति राशि रू. 28,42,882 सहित स्वीकृत करने बाबत्।

4. कार्य से संबंधित शिकायते/परिवाद के निस्तारण बाबत्।

निर्णय

बैटक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण व क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर व बालोतरा की बैठक कार्यवाही विवरण का राज्य सरकार के पत्रानुसार अनुमोदन किया जाता है।

2. मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद को पूर्व में किये गये भुगतान की राशि रू 4,18,18,289/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैसर्स रामकी एनवायरो लिमिटेड हैदराबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 द्वारा सूचित किया कि फर्म का नाम परिवर्तन कर Re Sustainability Limited कर दिया गया है इस हेतु MINISTARY OF CORPORATE AFFAIRS GOVT OF INDIA द्वारा जारी Certificate of Incorporation pursuant to change of name की प्रति संलग्न की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं. 5020/2020 में पारित आदेश की

पालना में मैसर्स Re Sustainability Limited को शेष रहे भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किये गये दिशा निर्देशों की पालना में, राज्य सरकार के पत्रानुसार भुगतान की स्वीकृति कार्यकारी समिति से चाही गई है। बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.05.2023 अनुसार फर्म को दिनांक 18.05.2023 तक भुगतान किया जाना था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 18.05.2023 को मैसर्स Re Sustainability Limited को राशि रू 11,49,70,948/– का भुगतान कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में कर दिया गया तथा किये गये भुगतान की कार्यात्तर स्वीकृति चाही गई। अतः मैसर्स Re Sustainability Limited को किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तुत कार्य का अन्तिम समयावधि प्रकरण में कुल 52 दिन विलम्ब से कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है, जिसमे 11 दिन हेतु संवेदक फर्म को दोषी मानते हुए राशि रू 28,42,882/– की शास्ति सहित दिनांक 27.06.2018 तक अन्तिम समयावधि प्रकरण स्वीकृत किया जाता है।

4. कार्य के संबंध मे श्री नवीन त्रिवेदी द्वारा की गई शिकायत एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे दर्ज परिवाद सं. एच 500/2023 दिनांक 30.01.2023 के संबंध मे जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से दर्ज किये गये वाद/परिवाद/जांच के संबंध मे वस्तुस्थिति चाही गई जिसके प्रत्युतर में कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में ब्यूरो स्तर पर उक्त परिवाद के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में संबंधित शिकायत/परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: Work Order Supply & Fixing of Chair For Stands in Barkatullah Khan Stadium Jodhpur में अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति हेतु।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Work Order Supply & Fixing of Chair For Stands in Barkatullah Khan Stadium Jodhpur के संबंध में। की स्वीकृति की अभिशंषा की जाती है।

बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम में पब्लिक चेयर लगाने के कार्य के दौरान कुछ स्थानो पर RCC कमजोर होने के कारण चैयर लग नही पा रही थी। जिसके कारण चैयर फिक्सिंग हेतु आर.सी.सी की Re-straingthing HILTTRE10 दर अनुमोदन अनुसार अतिरिक्त कार्य करवाया गया था।

Re-straingthing HILTTRE10 के कार्य की लागत राशि रू. 637360.00 है जो मूल कार्यादेश राशि की 1.40% है। उक्त कार्य की प्रकृति आपूर्ति (Supply) की है जो Part-II (Goods & Services) के अन्तर्गत है। कार्य में अतिरिक्त आइटम राशि. 637360.00 की स्वीकृति की सक्षमता SOP के अनुसार Bid Sanctioning Authority में निहित है। उक्त कार्य की Bid Sanctioning Authority कार्यकारी समिति है।

अतः कार्य में हुए अतिरिक्त कार्य राशि रू. 637360.00 की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपर्युक्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य के संबंध में वर्णित प्रकरण की स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

कार्य नीलकंठ महादेव मंदिर के पास भुतल पर स्थित सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजने के लिए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति दिनांक 16.11.2022 को आयोजित बैठक में रखा गया था। समिति की बैठक कार्यवाही विवरण कमांक बैठक/2022/1795 दिनांक 16.11.2022 के प्रस्ताव संख्या 11 के निर्णय में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात समान प्रकृति के समस्त प्रकरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया था। लेकिन संवेदक द्वारा बार–बार पत्राचार किये जाने के कारण एवं अनावश्यक न्यायिक दायित्वों से बचने के लिए कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण कार्यालय कमांक डी.ई./2022–23/1595 दिनांक 15.11.2022 द्वारा प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में प्रकरण की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 10(01)नविवि/1/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 03.05.2023 द्वारा प्रकरण की स्वीकृति आगामी मंत्रीमंडलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में अनुमोदन की शर्त पर निर्धारित प्रकियानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त स्वीकृति के क्रम में कार्य के बकाया भुगतान की प्रकिया में कार्य में लगे समय मूल आवंटित 181 दिन अतिरिक्त लगा समय 484 दिन कुल समय 665 दिन जो की मूल समयावधि से 3.67 गुणा अधिक है। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में रखा जाना है।

अतः प्रकरण राज्य सरकार को समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में भेजा गया था का अनुमोदन एवं समयावधि प्रकरण की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में उपर्युक्त प्रस्ताव में संवेदक को राशि रूपये 28,08,146/– का भुगतान अन्तिम बिल के रूप में किया जाना है, अंकित करने से शेष रह गया है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव में संवेदक को राशि रूपये 28,08,146/– के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपयुक्त प्रस्तावानुसार राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये प्रकरण का अनुमोदन, समयावधि प्रकरण स्वीकृत करने तथा उपरोक्त प्रस्तावानुसार संवदेक को अन्तिम बिल का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग-14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 3.6.... /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

23/5/23

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2249 — 2268 दिनांक :: 23-5-, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. .....

23/5/23

(जय नारायण मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री जयनारायण मीणा, आयुक्त (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23 मई, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती आंकाक्षा बैरवा, सहायक कलक्टर, जोधपुर
2. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री पी.आर. सिहाग, अधिशाषी अभियन्ता, बी–जोन, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
6. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
7. श्री रामपाल जमेरिया, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक (कार्यवाहक निदेशक–आयोजना) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री मनोज सोलंकी, उपायुक्त–2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000